न्यायालय :– विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जबलपुर म.प्र.

जमानत आवेदन क–144/2023

नरेश प्रसाद पटैल उम्र 56 वर्ष पिता कैलाश प्रसाद पटैल
निवासी–1036 बाबाजी निवास विजय नगर, तहसील व जिला जबलपुर

–––––आवेदक

//विरूद्ध//

म0प्र0राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

––––––अनावेदक

आवेदक द्वारा	:– श्री एम0एल0शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक/राज्य द्वारा	:– अपर लोक अभियोजक श्री संदीप जैन।

आदेश

(आज दिनांक 07.08.2023 को पारित)

1– आवेदक/आरोपी की ओर से धारा 438 द0प्र0स0 के तहत प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति आवेदन प्रस्तुत किया गया है और इस आदेश के द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

2– आवेदक/आरोपी की ओर से धारा 438 द0प्र0स के तहत प्रस्तुत आवेदन में लेख किया है कि उनका यह प्रथम अग्रिम प्रतिभूति आवेदन रहा होना एवं अन्य कोई अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पूर्व से प्रस्तुत/लंबित व निराकृत रहे होने से इंकारी तथ्य लेख किया है और अभिवर्णित तथ्यों की पुष्टि में समर्थन में नरेश प्रसाद पटैल का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है और तत्संबंध में अभिलेख परिशीलन एवं सुनवाई उपरांत आरोपी की ओर से यह प्रथम अग्रिम प्रतिभूति आवेदन रहा होना न्यायालय पाती है।

3– राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक संदीप जेन उपस्थित।

4– प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने अपने आवेदन आधार के रूप में संक्षेपतः आवेदित किया है कि आवेदक के खिलाफ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पाटन, श्री रवि कुमार साहू द्वारा सुबोध, सुधीर एवं सुदेश पटैल द्वारा शिकायत के आधार पर आर.सी.टी. 1022/23 धारा 420 भा0द0वि0 का मामला दिनांक 25.07.23 को दर्ज किया है, उपरोक्त प्रकरण में जमानतीय वारंट जारी किया है परंतु उक्त अपराध गैरजमानतीय है

इसलिये आवेदक यह आवेदन अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत कर रहा है। पेशी दिनांक 22.08.2023 की है। मौजा चदुंवा, प.ह.नं. 30/67 तहसील पाटन जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 65/2, 66, 63/3 रकबा क्रमशः 2.19, 5.28, 0.23 हेक्टयर कुल रकबा 7.27 हेक्टर जमीन का वसीयतनामा नारायण प्रसाद पटैल द्वारा आवेदक नरेश के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

5— आवेदक ने तहसीलदार पाटन के समक्ष नामांतरण आवेदन क्रमांक—80/अ—6—01—2021 प्रस्तुत किया था जिसमें पटवारी पंचनामा एवं इश्तहार जारी किये गये थे जिसमें उक्त इश्तहार एवं पटवारी पंचनामा मचुकरी द्वारा ग्राम चंदवा ले जायेगे गये थे परंतु अनावेदक के खिलाफ सुबोध, सुधीर एवं सुदेश ने जो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है उसमें उल्लेख किया है कि पटवारी पंचनामा दिनांक 14.09.2020 एवं आम इश्तहार में ग्राम कोटवार चदुआ के फर्जी हस्ताक्षर तथा नरेश पटेल ने अपनी सगी बहन हसमुखी शर्मा, आशा शर्मा, मधु शर्मा जो भांजा है एवं मनोज शर्मा के हस्ताक्षर फर्जी बनाये है तथा कोटवार संतोष एवं मनोज ने पंचनामा में कोई हस्ताक्षर नहीं किये है मनोज एवं संतोष कोटवार ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि पंचनामा में उनके हस्ताक्षर नहीं है। न्यायालय के समक्ष अर्जुन, संतोष कोटवार तथा सुबोध द्वारा अपना कथन अंकित कराये। प्रथम दृष्टया रूप से किसी साक्षी द्वारा यह नहीं कहा है उपरोक्त पंचनामा पर या इश्तहार पर आवेदक नरेश द्वारा उनके समक्ष संतोष या मनोज के हस्ताक्षर बनाये गये है। संभावनाओं के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इश्तहार एवं पंचनामा में हस्ताक्षर आवेदक नहीं कराता है बल्कि मचकुरी या कोटवार द्वारा कराये जाते है। परंतु कोटवार ने ऐसा कहीं कथन नहीं किया है कि अवेदक नरेश द्वारा पंचनामा इश्तहार पर हस्ताक्षर किय है बल्कि उसने यह कहा है कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर किसने बनाये है में नहीं बता सकता जब इश्तहार पंचनामा हस्ताक्षर कराने के लिये आवेदक को दिया ही नहीं गया है कोर्ट कर्मचारी द्वारा पंचनामा एवं हस्ताक्षर कराये जाते है तथा किसी कोर्ट के कर्मचारी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि पंचनामा या इश्तहार पर नरेश द्वारा फर्जी हस्ताक्षर संतोष एवं मनोज के किये है अतः प्रथम दृष्टया कोई भी अपराध नरेश के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है आवेदक के द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि नरेश ने नारायण प्रसाद के खाते से मृत्यु के बाद एटीएम से पैसा निकाला है। इस संबंध में वसीयतनामा में यह उल्लेख है कि नरेश प्रसाद बैंक एकाउंट भी अपने नाम कराके उसका संचालन करेगा उसमें किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उक्त खाते उक्त खाते का पूरा राशि नरेश कुमार द्वारा चुकता की गई है जिसका भी सबूत आवेदक के पास है आवेदक ने उक्त खाता 7,89,000/— रूपये चुकता किया है।

6— उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण भी कमिश्नर महोदय द्वारा करने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा जो नामांतरण आदेश पारित किया था उसे कमिश्नर

महोदय ने वैधानिक माना है और उक्त राजस्व प्रकारण में भी इस तरह की आपत्तियां उठाई गई थी जिसे निराधार माना है।

7– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 पाटन द्वारा तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी जो वसीयतनामा के आधार पर स्थगन आदेश आवेदक के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदकगण ने स्वयं सरपंच अर्चना का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर उसमें फर्जी हस्ताक्षर किय है जिसका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र सरपंच एवं सचिव द्वारा दिया गया है। आवेदक के खिलाफ धारा 420 को कोई मामला नही बनता मात्र परेशान करने प्रस्तुत किया है।

8– आवेदन पर विचार किया गया। आवेदन से दर्शित है कि हस्तगत जमानत याचिका विचारण न्यायालय द्वारा समनीय आदेश से अरेस्ट की आशंका के आधार पर लगाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा–420 में संज्ञान लेकर आवेदक को पेश होने हेतु आदेशित किया गया है। जिससे उक्त आदेशानुसार उसके अरेस्ट होने की आशंका नही है। उसको पूर्व में विचारणीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुये कोर्ट में पेश होने हेतु निर्देशित किया गया है।

9– आवेदक के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में धारा 420 निर्मित नही हो रही है। उक्त निवेदन पर वर्तमान में गुण–दोष पर निष्कर्ष नही दिया जा सकता। किन्तु प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में मात्र उपस्थित होने हेतु समंस किया गया है आवेदक के विरूध्द कोई गिरफतारी वारंट जारी नही किया गया है। न्यायालय कार्य में पेश होने हेतु मात्र समंस जारी करने से गिरफतारी की आशंका उपधारित नही की जा सकती। आवेदक को अधिकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होकर वह अपनी जमानत के संबंध में आवेदन कर सकता है।

10– अतः विचारणीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अगर आवेदक के द्वारा कोई जमानत का आवेदन पेश किया जाता है तो उक्त आवेदन को उसी दिन निराकृत करना सुनिश्चित करे , चूकि अपराध 07 वर्ष से कम सजा से दंडनीय है अतः उक्त तथ्यो पर विशेष रूप से विचार करते हुये विधि सम्यक कार्यवाही करें।

उक्त आधार पर आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण कमांक 1022/2023 से संबंधित मूल रिकार्ड विचारण न्यायालय की ओर भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल अभिलेखागार भेजा जावे।

(विवेक कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
पाटन, जबलपुर

VIVEK KUMAR

Digitally signed by VIVEK KUMAR
Date: 2023.08.07 17:17:18 +0530